

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मोतिहारी।

पत्रांक1472.....

दिनांक14/06/21.....

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल मोतिहारी।

सेवा में ,

M/s Babul Construction,
At- Sisawa Bazar, P.S- Paharpur
Dist- East Champaran.
Agreement. No:- 29 SBD 2017-18
Reg. No:- 2180237

विषय:- PMGSY अन्तर्गत L059 (T02 to Bhalua Tola (VR27) पथ में पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं करने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय के कार्यालय आदेश 1145 दिनांक 24.05.2021, 1134 दिनांक 21.05.2021, 1131 दिनांक 21.05.2021, 1107 दिनांक 15.05.2021, 1016 दिनांक 19.04.2021, 686 दिनांक 08.03.2021 एवं पत्रांक 570 दिनांक 26.02.2021

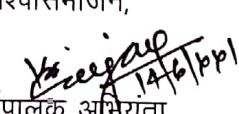
महाशय

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्रों के संबंध में काफी खेद के साथ पुनः स्मारित करना है कि इस कार्यालय के विभिन्न कार्यालय आदेश एवं अनेको बार दूरभाष पर तथा मौखिक रूप से भी अनुरक्षण कार्य कराने हेतु निदेश दिया जाता रहा है, परन्तु आपके द्वारा PMGSY अन्तर्गत L059 (T02 to Bhalua Tola (VR27) पथ में वार्षिक अनुरक्षण कार्य कराने में गंभीरता नहीं दिखाई गई। आपके इस स्वेच्छारिता के कारण सरकार द्वारा राशि प्रदत्त करने के बावजूद भी आम आवाम को कष्ट उठाना पड़ रहा है।

अतः तीन दिनों के अन्दर हर हाल में अनुरक्षण कार्य पूर्ण कराते हुए इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे कि अनेको स्मार पत्र, मौखिक एवं दूरभाष पर दिये गए निदेश के बावजूद अब तक अनुरक्षण कार्य क्यों नहीं पूर्ण किया गया। इस संबंध में स्पष्टीकरण अप्राप्त या अस्वीकार्यता की स्थिति में एकरारनामा के सुसंगत कंडिकाओं 52.2(c) एवं (n) के तहत Defect Libiliti Period में नोटिश के बाद भी पथ का अनुरक्षण कार्य नहीं कराये जाने के कारण आपके एकरारनामा को विखंडित करते हुए आपके निबंधन को काली सूची में डालने की कारवाई की जाएगी एवं आपके जमानत की राशि को जब्त करते हुए उस राशि से अनुरक्षण का कार्य कराया जाएगा।

इसे अति गंभीरता से लेंगे।

विश्वासभाजन,


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, मोतिहारी।